न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

विविध वाद सं0 ..37../2018–19

श्री शम्भुदत्त तिवारी,
पिता– स्व0 रामाधार तिवारी
साकिन– झुमरी तिलैया, वार्ड नं0– 05

01.09.2018 श्री शम्भुदत्त तिवारी, पिता– स्व0 रामाधार तिवारी, साकिन– झुमरी तिलैया बस्ती, वार्ड नं0– 05 पोस्ट आफिस– झुमरी तिलैया, थाना– तिलैया, जिला– कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि उनकी खरीदगी भूमि, मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244, प्लॉट नं0– 6974, रकबा– 5.55 डी0 मधे रकबा– 3.00 डी0 भूमि का खाता सं0– 138 की जगह भूलवश खाता सं0– 97 दर्ज हो गया है।

आवेदक के द्वारा निबंधित केवाला सं0– 8410 दिनांक 14.09.1992, केवाला सं0 8411 दिनांक 14.09.1992 एवं केवाला सं0– 8412 दिनांक 14.09.1992 की छायाप्रति संलग्न कर खाता संख्या में सुधार करते हुए उक्त भूमि का दाखिल–खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त आवेदन के आलोक में राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक ..09../..09../2018 को उपस्थापित करें।

01.09.2018

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

09.09.2018 अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। जांचोपरांत राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, "मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244 के खाता सं0– 138 में प्लॉट नं0– 6974, कुल रकबा– 0.57 ए0 सर्वे–खतियान के अनुसार मसो0 खागो कुमारी, पति– झरी राम के नाम से दर्ज है। प्लॉट नं0– 6974 सर्वे–खतियान के खाता नं0– 97 में दर्ज नहीं है, खाता सं0– 138 में दर्ज है।"

आवेदक को नोटिस निर्गत कर मूल राजस्व कागजातों की मांग करें। साथ ही आम–इस्तहार निर्गत कर दावा/आपत्ति की मांग करें।

अभिलेख दिनांक ..16../..09../2018 को उपस्थापित करें।

9/09/2018

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

16.09.2018 अभिलेख उपस्थापित।

आवेदक श्री शम्भुदत्त तिवारी स्वयं उपस्थित हैं। उनके द्वारा अपने दावे के समर्थन में उक्त भूमि से संबंधित विक्रेता, श्री अवध कुमार मिश्र, पिता– स्व0 प्रयाग मिश्र को निर्गत सरकारी लगान रसीद सं0– 083128 वर्ष 2016–17 की छायाप्रति एवं विक्रेता के नाम से दर्ज जमाबंदी यथा पंजी II के पृष्ठ सं0– 84/18 की प्रति प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्लॉट नं0– 6974 का खाता सं0– 138 दर्ज है।

आवेदक श्री शम्भुदत्त तिवारी, पिता– स्व0 रामाधार तिवारी के द्वारा प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों एवं राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्लॉट नं0– 6974, कुल रकबा– 03 डी0 का सही खाता सं0– 138 है।

अतः प्रश्नगत भूमि; मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244, प्लॉट नं0– 6974, रकबा– कुल रकबा– 03 डी0 से संबंधित केवाला सं0– 8410 दिनांक 14.09.1992, केवाला सं0 8411 दिनांक .14.09.1992 एवं केवाला सं0– 8412 दिनांक 14.09.1992 में अंकित प्लॉट नं0– 6974 का खाता सं0– 97 के स्थान खाता सं0– 138 समझा जाए। आवेदक उक्त भूमि का दाखिल–खारिज हेतु नियमानुसार स्वयं ऑनलाइन आवेदन समर्पित करें। अभिलेख में कार्रवाई ...बंद... की जाती है।

16.09.2018

लेखापित एवं संशोधित

16.09.2018

अंचल अधिकारी,

कोडरमा